

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

सं० / 104/25

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/12/25	<p>पत्तावली पेश डी. नं० 12 से कुँजात्र प्रस्ताव प्राप्त हुए। वकील वादी उप० है। वकील वादी द्वारा शुद्धि कुँजात्र प्रस्ताव अन्तिम डि०/निष्पत्ति के लिए हेतु निवेदन किया गया। पत्तावली के अवलोकन, बहस प्रत्येक के आधार पर वादी या वाद डि० मिला जाता है। विस्तृत निष्पत्ति प्रत्येक से लिखा जाता है। पत्तावली मिला। पत्तावली के पत्र शकल होकर दफ्तर दायित्व ही दर्ज नम्बर से कम है।</p>	